वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल संकाय,योजना एवं विकास

	·	संकाय,याजना एव विकास
1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्ताव्यो का विवरण	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से वार्षिक आधार पर आंकडो का संकलन कर व्यवस्थित रूप से रखना एवं मांगे जाने पर उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना एवं संबंधित विभागो को भेजना । विश्विद्यालय की वार्षिक योजनाओं को तैयार करना एव संबंधित विभागों को भेजना। कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय द्वारा आवंटित कार्य को संपादित करना। विभिन्न विभागों यूजीसी ऐआईयू डेक एमएचआरडी एण्ड अदर की प्रश्नावलियों का जवाब तैयार कर भिजवाना। जिला परियोजना अधिकारी द्वारा चाही गयी सूचनाओं को उपलब्ध करवाना।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	समस्त निर्णय सबधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं ।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	समस्त निर्णय सबधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाता है। समयावधि का निर्धारण कार्य की प्रकृति पर निर्भर है। लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	विभागीय पत्रावलियां एवं लेखा से संबंधित पंजिकायं ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेता है । विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय लागू किये जाते है ।
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	कार्य के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य संपादन हेतु समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है । विभागीय समितियां जनसाधारण के लिये खुली नहीं हैं और इनका कार्यवाही वृत जनता की पहुंच योग्य नहीं है ।

r		
9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
	कर्मचारियों की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ඊ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
12 (ढ)	अनुदान⁄राजकीय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं ।
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	–शून्य–
15 (থ)	सूचना पाप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	विश्वविद्यालय के परिसर में केन्दोय पुस्तकालय स्थित है । उसके खुले रहने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक हैं

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल लेखा एवं वित्त विभाग

	लखा १५ । पत्ता । पमा ग
1 विभाग के कार्य एवं (क) कर्त्तव्यो का विवरण	-विश्वविद्यालय की आय तथा बजट नियंत्रण का मदवार संधारण करना। -बिलों को नियमानुसार पारित करना। -मासिक वेतन बिल व पेंशन बिल पारित करना। -वित्त समिति का आयोजन करना। -बजट फाइनेंस कमेटी की बैठक में आवश्यक कार्यवाही हेतु भाग लेना। -बजट फाइनेंस कमेटी की बैठक में आवश्यक कार्यवाही हेतु भाग लेना। -वार्षिक लेखे तैयार करना। -वार्षिक लेखे तैयार करना। -पविष्य निधि खातों का संधारण करना व समय-समय पर ऋण प्रदान करना। -आन्तरिक अंकक्षण करना। -विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना। -विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना। -वर्क्यवीदियालय का बजट तैयार करना। -वर्मचारी कल्याण कोष से ऋण प्रदान करने व कटौतियों के आधार पर खाता बही संधारण करना। -विभिन्न अंकेक्षणों की संबंधित विभागों से अनुपालना तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना। -तिखा से संबंधित अधिनियम के अनुसार कार्य का निर्वहन करना। -वित्तीय नियन्त्रण करना। लेखा एवं वित्त विभाग के अन्तर्गत निम्न अनुभाग भी कार्यरत हैं। - सम्पदा अनुभाग - क्रेय अनुभाग - केन्द्रीय मण्डार अनुमाग
2 विभागीय अधिकारियों (ख) एवं कर्मचारियों को शक्तियां व कर्त्तव्य	

		
		 (f) to keep watch on the cash and bank balances ; (g) to supervise collection of revenue and to advise on the methods of such collection; (h) to ensure that the registers of properties of the University are properly maintained and that stocks of equipments and other materials in the offices of the University, Regional Centres, Study Centres and other institutions are duly checked; (i) to bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorised expenditure or financial irregularity and suggest action against the person concerned. (j) To call for any information or report necessary for his work from any office, Regional Centres, and Study Centres of the University. (k) to perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management.
3	निर्णय लेने की	समस्त निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकृति पश्चात वित्त
	प्रकिया में मय	अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं। प्रकरण लिपिक से पत्रावलिया मार्फत सहायक
	पर्यवेक्षण एवं	लेखाधिकारी,उपकुलसचिव से वित्त अधिकारी को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित
	जवाबदेही निर्धारण	पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी वित्त अधिकारी/कुलपति महोदय द्वारा दिये गये
	करने में अपनाई	निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है।
	जाने वाली विधि कार्य निर्वहन के	समस्त वित्तीय एवं लेखा नियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित नियम एवं राजस्थान सेवा
	काय ानवहन क स्थापित मानक	समस्त वित्ताय एवं लखा नियम विश्वविधालय द्वारा प्रयालत नियम एवं राजस्थान सवा नियमों के अनुसार मानक तय किया जाता है।
	अपने पास या अपने	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित नियम एवं राजस्थान
(च)	नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका एव अभिलेख	सेवा नियमों के अनुसार मानक तय किया जाता है।
	अपने पास या अपने	बिल वाउचर रसीदें एवं संबंधित पत्रावलियां।
	नियन्त्रण में रखे हुए	
	दस्तावेजो का श्रेणी	
7	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	ਸਰ ਨਸਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗ ਸਰ ਕਗਾਰਿਊਆਂ ਸੇ ਸੰਗੱਲਰ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾਂ -6
	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्घारण	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेता। विश्वविद्यालय दारा किये गये निर्णय लाग किये जाते हैं।
(ज)	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेता। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये निर्णय लागू किये जाते हैं।
(ज)	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या	
(ज)	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के	
(ज)	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु	
(ज) 8 (झ)	दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का	

	उनकी बैठको का	
	कार्यवाही वृत् जनता	
	की पहुँच योग्य है।	
9	विभागीय अधिकारियों	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची www.vmou.ac.in/dept पर
(ट)	एवं कर्मचारियो की	उपलब्ध है।
	निर्देशिका	
10	अपने अधिकारियों	
(ठ)		
. ,	एवं कर्मचारियों में से	
	प्रत्येक द्वारा प्राप्त	
	मासिक	
	पारिश्रमिक मय	
	क्षतिपूर्ति निर्धारण	
	की पद्धति।	
11	अपने विभाग को	
11 (ड)		
	योजना मद मे	
	आवंटित बजट मय	
	योजना विवरण	–शून्य–
	प्रस्तावित व्यय एवं	-
	धन वितरण का	
	विवरण	
12	अनुदान / राजकीय	राज्य सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान का लेखा संधारण किया
(ढ)	सहायता कार्यकम के	राज्य तरफार एप पूरस्य शिका परिषद त प्रापा अनुदान का लखा तयारण किया जाता है।
(0)	कियान्वयन की रीति	जाता ह।
	ाकयान्पयन का शात मय आवंटित राशि एवं	
	मय आपाटत शारा एप उससे लाभांवितो का	
	उससे लामाविता का विवरण	
	ופפעט	
13	विभाग द्वारा स्वीकृत	
(न)	रियायतो अनुज्ञापत्रो	
	या प्राधिकार प्राप्त	विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।
	करने वालो का	ועידויז צולו טולו יופו ועים טולו פן
	विवरण	
14	इलक्ट्रोनिक रूप से	
(त)	तैयार की गई	
	संधारित या उपलब्ध	–शून्य–
	सूचना का विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के	
(थ)	लिए नागरिको को	
	उपलब्ध सूचनाओं का	
	विवरण, यदि जनता	
	के उपयोग हेतु	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है।जो कार्यालय समयानुसार
	पुस्तकालय या	प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
	वाचनालय संधारित है	
	तो उसके खुले	
	रहने का समय	
	विवरण	
1	14479	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल Directors Of Schools

1	विभाग के कार्य एवं	Directo	rs of Schools:-
(क)	कर्त्तव्यो का विवरण	1. i.	The University shall have the following schools of studies namely <u>School of Humanities and Social Science</u> (The School shall currently include such subjects as History, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Indian Traditions and Culture, Hindi and English.
		ii. iii.	<u>School of Science and Technology</u> (The School shall combine such disciplines as Computer Education, Information Technology, Agricultural Courses/Programmes, Courses on Dairy Farming, etc. <u>School of Continuing Education</u> (The School shall consist of such disciplines as Education, Distance Education, Journalism, Library and Information Science Programmes, Academic Programmes on food and Nutrition, Law, etc.
			<u>School of Commerce and Management</u> (Beside continuing Academic Programmes of Commerce and Management, the School shall also have such disciplines as Tourism and Hotel Management to begin with.
		V.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		2.	Every School of Studies, hereinafter called "School" Shall have a
			Board, which shall comprise of the following;
		. ,	Director of the School-Chairman;
		(0)	All Conveners/Heads and Professors of the disciplines or subjects assigned to the School of Studies, as may be determined by the Academic Council, from time to time;
		(c)	Atleast four Readers/Lecturers assigned to the School, nominated by the Vice-Chacellor;
		(d)	Not more than two Professors/Readers/Lecturers from disciplines not assigned to the school, nominated by the Vice-Chancellor; and
		(e)	Persons (Depending upon the number of each discipline assigned to the School) who are not the employees of the University, co- opted by the Board for their specialized knowledge in any discipline assigned to the School or in any allied branch of knowledge.
		3.	All members of the Board other than the ex-officio members, shall
			Hold office for a term of two years, The term of member will
			commence from such date as may be notified. The new Director will succeed on the basis of seniority from the
			list off aculty members of disciplines assigned to the School, The
			term of the Director of the School shall be three years.
		4. Boa	ard of a School shall have the powers to perform the following
		fu	nctions;
		i.	To organize developmental and research work in the School;
		ii.	To approve the course structure of the academic programmes of the School, in accordance with the directions of the Academic Council, in pursuance of Statute 8(3) on the recommendation of the Expert Committee(s) constituted by-it;

·		1	
		iii.	To approve the syllabus in accordance with the course structure on the advice of Expert Committee(s) nominated by the Convener/Head of the subject;
		iv.	To recommend to the Vice-Chancellor names of course writers, examiners and moderators for different courses on the proposal of the director of the School prepared in consultation with the Convener/Head of the concerned discipline;
		v.	To formulate proposal for orientation programmes for course writers in collaboration with other Schools in consultation with the Convener/Head of the concerned discipline;
		vi.	To formulate proposals for orientation programmes/summer Schools for tutors and counsellors in consultation with the Convener/Head of the concerned discipline;
		vii.	To prepare general instruction for counselling to students for different programmes.
		viii.	To review methodologies adopted for preparation of educational materials for courses in the disciplines assigned to the School, to evaluate the educational material, and to make suitable recommendations to Academic Council;
		ix.	To review (in consultation with Convener/Head of the subject) from time to time the courses already in use with the assistance of outside experts, if necessary, and to make such changes in the courses, as may be required;
		x.	To review the facilities of the Study Centres and arrangements for Laboratory/field work periodically, as may be determined by the School;
		xi.	To perform all other functions, which may be prescribed by the Act the Statutes, the Ordinances and to consider all such matters, as may be referred to it by the Board of Management, the Academic Council, the Planning Board or the Vice-Chancellor and;
			To delegate to the Director or to any other Member of the Board or to a Committee such general or specific powers, as may be decided upon by the School from time to time.
			To provide policy directives to the admission process of the University in consultation with the Subject Conveners/Heads. To provide a functional schedule of internal assignments (e.g.
		XIV.	preparation and execution) for the school based academic programmes.
		5.	The Board shall meet, as and when necessary, but shall meet atleast twice a year. One-third of the total membership of the
			Board shall form a quorum for a meeting of the School.
2	विभागीय अधिकारियों	समस्त नि	र्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकृति पश्चात
(ख)	एवं कर्मचारियों की	निदेशक ह	रारा लिये जाते हैं। प्रकरण लिपिक से पत्रावलिया/पत्र विषय संयोजक
	शक्तियां व कर्त्तव्य	। माफत ानेव िर्नेलंग्र	रेशक को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी
		ानदशक / है	कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती
3	निर्णय लेने की प्रकिया	समस्त नि	र्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकृति पश्चात
(ग)	में मय पर्यवेक्षण एवं	निदेशक ह	तरा लिये जाते हैं। प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां/पत्र विषय संयोजक
	जवाबदेही निर्धारण	मार्फत निव	रेशक को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी
	करने में अपनाई जाने वाली विधि	निदेशंक / है ।	कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती

4	कार्य निर्वहन के	निदेशक महोदय द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं । कुलपति महोदय द्वारा
(घ)	स्थापित मानक	समय-समय पर तय किये जाते हैं । निदेशक द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न
		निकायों की स्वीकति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं ।
5	अपने पास या अपने	आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाता है । समयावधि का
(च)	नियन्त्रण में या अपने	निर्धारण कार्य की प्रकति पर निर्भर, लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं है ।
	कर्मचारियों द्वारा कार्य	आवंटित कार्य निर्धारित प्रकिया के तहत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के
	निपटाने हेतु उपयोग में	तहत पूर्ण किया जाता है । समय–समय पर कार्य की प्रकति अनुसार अनुदेश,
	लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश	निर्देश व अभिलेख प्रसारित होते हैं ।
	विविधानम् अनुदरा निदशिका एव अभिलेख	
6	अपने पास या अपने	विभागीय पत्रावलिया एवं लेखा से संबंधित पंजिकायें। शाध ग्रन्थ निर्धारित
(छ)	नियन्त्रण में रखे हुए	प्रकिया पूर्ण होने तक। स्टाक रजिस्टर । शैक्षणिक पत्रावलिया ।
	दस्तावेजो का श्रेणी वार	
	विवरण	
7	अपनी नीति निर्धारण	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं
(ज)	या उसके कार्य के	लेता है। विश्वविद्यालय द्वारा लिय गये निर्णय लागू किये जाते हैं। विश्वविद्यालय
	संबंध में जनता या	द्वारा निर्धारित नियमों के तहत की समस्त कार्यवाही की जाती हैं। विभागीय स्तर
	जनप्रतिनिधि हेतु जन्मनदा जन्मभग का	पर सीघे रूप से जनता अथवा जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध
	उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	करवाने का प्रावधान नहीं है। जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सूचना आदि मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उपलब्ध करवायी
	144131	जाती हैं । जनता एवं जनप्रतिनिधियों हेतु प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं है । इनसे
		अप्रत्यक्ष सम्पर्क है ।
8	राय प्राप्ति हेतु अपने	कार्य के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु समय–समय पर
(झ)	द्वारा गठित दोँ या	विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है । विभागीय समितियां जनसाधारण के
	अधिक व्यक्तियों के	लिये खुली नहीं हैं और इनका कार्यवाही वृत जनता की पहुंच योग्य नहीं है ।
	मण्डलो, परिषदो,	कार्य की प्रकति को द्रष्टिगत रखते हुये संक्षम अधिकारी के दिशा–निर्देशों के
	समितियो और अन्य निकायों का विवरण	अनुसार समितियों का गठन किया जाता है । समिति की रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी/कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त अमल में लायी जाती है ।
	और यह विवरण भी कि	गठित समितियां विभागीय कार्यवाही के लिये होती हैं जनसाधारण के लिये नहीं
	क्या उनकी बैठक जन	होती हैं। कर्मचारियों का जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।
	साधारण क लिए	
	खुली ह या उनकी	
	बैठको का कार्यवाही	
	वृत जनता की पहुँच रोगर नै।	
9	योग्य है। विभागीय अधिकारियों	(1) School of Humantica & Social Science
੍ਰ (ਟ)	ावमागाय आध्रकारिया एवं कर्मचारियो की	(1)School of Humanties & Social Science (2)SCHOOL OF CONTINUING EDUATION
	निर्देशिका	(2)SCHOOL OF CONTINUING EDUATION (3)SCHOOL OF COMMERCE & MANAGEMENT
		(4)SCHOOL OF COMMERCE & MANAGEMENT (4)SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
		विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची www.vmou.ac.in/dept
		ापनान न कविरत आवकारिया ९५ कनेवारिया का सूर्या www.vinou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10	अपने अधिकारियों एवं	विश्वविद्यालय के लेखा शाखा में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ठ)	कर्मचारियों में से	
	प्रत्येक द्वारा प्राप्त	
	मासिक पारिश्रमिक मय	
	क्षतिपूर्ति निर्धारण	
11	की पद्धति। अपने विभाग को	विष्वविद्यालय के लेखा विष्णा में सामन सन्दर्भ लगन्तर हैं ।
া। (ড)	अपन विमाग का योजना मद मे आवंटित	विश्वविद्यालय क लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
	वाजना मद म आपाटत बजट मय योजना	

	विवरण प्रस्तावित व्यय	
	एवं धन वितरण का	
	विवरण	
12	अनुदान / राजकीय	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ढ)	सहायतां कार्यकम के	
	कियान्वयन की रीति	
	मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का	
	विवरण	
13	विभाग द्वारा स्वीकृत	विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं ।
(न)	रियायतो अनुज्ञापत्रो या	
	प्राधिकार प्राप्त करने	
	वालो का विवरण	
14	इलक्ट्रोनिक रूप से	www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है ।
(त)	तैयार की गई संधारित	
	या उपलब्ध सूचना का	
	विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के	
(थ)	लिए नागरिको को	
	उपलब्ध सूचनाओ का	
	विवरण, योदे जनता के	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है।जो कार्यालय
	उपयोग हेतु पुस्तकालय	समयनुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
	या वाचनालय संधारित	
	है तो उसके खुले	
	रहने का समय विवरण	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल केन्द्रीय पुस्तकालय

-		
1 (ক)	विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्यो का विवरण	विभिन्न स्त्रोत्तों प्लान नॅान प्लान विश्विद्यालय आन सोर्सेज से प्राप्त वित्तीय संशाधन से पुस्तक सीडी पत्र–पत्रिका, जनरल्स इत्यादि का कय करना। विभिन्न ऐजेंसी/व्यक्तियों से पाठयसामग्री को उपहार क रूप में प्राप्त करना। प्राप्त बुक्स, सीडी, डीवीडी जनरल्स आदि को आवश्यकतानुसार परिग्रहण पंजिका एवं पेरियोडिकल रजिस्टर करना। पुस्तकों का वर्गीकरण कर फलका पर विषयानुसार व्यवस्थित करना। जनरल्स को भी पेरियोडिकल डिस्प्ले रेक पर विषयानुसार डिस्प्ले करना। जनरल्स को भी पेरियोडिकल डिस्प्ले रेक पर विषयानुसार डिस्प्ले करना। एवं जब उसके एक वर्ष के सभी अंक पूर आ जाने पर बाइंडिंग करवाकर विषयानुसार फलक पर व्यवस्थित करना । कय किये गये पुस्तक एवं पत्र–पत्रिका एवं जनरल्स के भुगतान से संबंधित कार्य करना । इसी प्रकार कर्मचारियों के बच्चों के टयूशन फीस, मेडीकल बिल इत्यादि का भुगतान करना। पुस्कालय के सभी कर्मचारियों का अवकाश से संबंधित तर्फार्ड रखना। विभिन्न प्रकार के पाठकों, शिक्षकों, कर्मचारी, विद्यार्थी प्रकार कर्मचारियों के बच्चों के टयूशन फीस, मेडीकल बिल इत्यादि का भुगतान करना। पुस्कालय के सभी कर्मचारियों का अवकाश से संबंधित तिर्हार्ड रखना। विभिन्न प्रकार की पाठकों, शिक्षकों, कर्मचारी, विद्यार्थी प्रत्तकालय सामय में अकर पुस्तकालय द्वारा प्रदान करा । विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों /अधिकारियों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करवाना। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी पुस्तकालय समय में आकर पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इन्हें पाठयसामग्री निर्गम नहीं की जा सकती है । विश्वविद्यालय के शाध छात्र/छात्रायें पुस्तकालय की विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । साथ ही पाठयसामग्री भी जारी करवा सकते हैं । इसके लिये इन्हें पंजीकरण शुत्कालय की विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । साथ ही पाठयसामग्री भी जारी करवाकर पुस्तकालय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय के शोधणिक कर्मचारी भी विशि सदस्य बन सकते हैं । पुस्तकालय में उपलब्ध सेवाओं का विरण निम्न प्रकार से हैं — लेरडिंग सर्विस, बाइलोजिकलग्राफी सर्विस, रिफेन्स सर्विस सीएएएस एसटीडी इत्यादि फोटो कॉपी सर्विस पयास पैसे प्रति कॉपी विश्वविद्यालय के परीक्रा के गत दो सालों के प्रश्
2	विभागीय अधिकारियों एवं	रहता है । पुस्तकालय खुलने का समय -प्रातः 10 से साय 5 बजे तक समस्त निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकति
(ख)	कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य	पश्चात प्रभारी अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं वाबदेही	समस्त निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकति पश्चात प्रभारी अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं ।
	निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी	
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग मं	आवंटित कार्य निधारित समयावधि में पूर्ण किया जाता ह । समयावधि का निर्धारण कार्य की प्रकति पर निर्भर। लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं ।

	लिए जाने वाले नियम	
	विनियम अनुदेश निदशिका	
- (-)	एव अभिलेख	
(छ) व	अपने पास या अपने	विभागीय पत्रावलियां एव लेखा से संबंधित पजिकायें, बुक्स व
	नियन्त्रण में रखे हुए	पेरियोडिकल्स एक्सेशन रजिस्टर बुक आगम निर्गम रजिस्टर ।
	दस्तावेजो का श्रेणी वार	
	विवरण	
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई निर्णय नहीं
	उसके कार्य के संबंध में	लेता है । विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय लागू किये जाते हैं ।
	जनता या जनप्रतिनिधि	
	हेतु उपलब्ध व्यवस्था का	
	विवरण	
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा	पुस्तकालय के लिये लाइब्रेरी कमेटी है जो कि समय–समय पर पुस्तकालय
	गठित दो या अधिक	संचालन से संबंधित सलाह देती है । कार्य के आधार पर सक्षम अधिकारी
	व्यक्तियों के मण्डलो,	द्वारा कार्य सम्पादन हेतु समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन
	परिषदो, समितियो और	किया जाता है। विभागीय समितियां जनसाधारण के लिये खुली नहीं हैं
	अन्य निकायों का विवरण	और इनका कार्यवाही वृत जनता की पहुंच योग्य नहीं है ।
	और यह विवरण भी कि	
	क्या उनको बैठक जन	
	साधारण क लिए खुली	
	ह या उनकी बैठको का	
	कार्यवाही वृत्त जनता की	
	पहुँच योग्य है।	
9	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
੍ਹ (ਟ)	कर्मचारियों की निर्देशिका	
	-	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
	द्वारा प्राप्त मासिक	
	पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति	
	निर्धारण की पद्धति।	
11 (ड)	अपने विभाग को योजना	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(0)	मद मे आवंटित बजट मय	
	योजना विवरण प्रस्तावित	
	व्यय एवं धन वितरण का	
	विवरण	
12 (ढ)	अनुदान / राजकीय	विश्वविद्यालय क लेखा शाखा में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(%)	सहायता कार्यकम के	
	कियान्वयन की रीति मय	
	आवंटित राशि एवं उससे	
	लाभांवितो का विवरण	
13 (T)	विभाग द्वारा स्वीकृत	विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं ।
(न)	रियायतो अनुज्ञापत्रो या	
	प्राधिकार प्राप्त करने वालो	
	का विवरण	
14 (T)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार	ओडियो वीजूअल केसेट सीडी डीवीडी उपलब्ध हैं पाठयसामग्री के रूप में।
(त)	की गई संधारित या	
	उपलब्ध सूचना का विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के लिए	केन्द्रीय पुस्तकालय विश्वविद्यालय अधिकारियों / कर्मचारियों विद्यार्थियों को
(થ)	नागरिको को उपलब्ध	सूचना उपलबध करवाता है । विश्वविघालय कार्यालय समयानुसार प्रातः
	सूचनाओ का विवरण, यदि	10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

जनता के उपयोग हेतु	
पुस्तकालय या वाचनालय	
संधारित है तो उसके	
खले रहने का समय	
विवरण	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो	सामग्री उत्पादन एवं वितरण विमाग पाठयसामग्री का मुद्रण करवाना एवं विश्वविद्यालय के समस्त विभागों की
1 (क)	का विवरण	पाठयसानग्री की नुद्रण करपाना एवं पिश्यपिधालय के सनस्त पिनानी की आवश्यकतानुसार सामग्री का मुद्रण जैसे प्रवेश आवेदन पत्र, परीक्षा आवेदन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट एवं समय—समय पर आयोजित की जाने वाली कार्यशालायें / सेमीनार के परिपत्र इत्यादि करवाना। डीजीएसएण्डडी द्वारा अन्मोदित मिलों से पेपर कय करना। विश्वविद्यालय के सभी पाठयकमों में प्रवेशित छात्रों को डाक द्वारा पाठयसामग्री भिजवाना।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां / पत्र कार्यालय सहायक / अनुभागाधिकारी / लेखाकार / सहायक कुलसचिव / सहायक उत्पादन अधिकारी के मार्फत निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं। संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी निदेशक / कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है ।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी	प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां/ पत्र कार्यालय सहायक/ अनुभागाधिकारी/ लेखाकार/ सहायक कुलसचिव/ सहायक उत्पादन अधिकारी के मार्फत निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं। संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी निदेशक/ कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं ।
र (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख	आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाता है। समयावधि का निर्धारण कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है । लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं है ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	विभागीय पत्रावलियां, लेखा से संबंधित पंजिकायें और स्टॉक रजिस्टर ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	विभागीय स्तर पर सीधे रूप से जनता अथवा जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है । जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सूचना आदि मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उपलब्ध करवायी जाती है ।
8 (झ)	राय प्राप्ति हतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो,समितियो आर अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	कार्य की प्रकृति को द्रष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के दिशा—निर्देशों के अनुसार समितियों का गठन किया जाता है। समिति की रिपोर्ट का सक्षम प्राधिकारी/कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त अमल में लायी जाती है । गठित समितियां विभागीय कार्यवाही के लिये होती हैं जनसाधारण के लिये नहीं होती हैं ।

9	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(ट)	कर्मचारियों की निर्देशिका	
10	अपने अधिकारियों एवं	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
ाउँ (ठ)		विश्वविद्यालय के लेखा व वित्त अनुभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
()	कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा	
	प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय	
	क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	
11	अपने विभाग को योजना मद	विश्वविद्यालय लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ड)	मे आवंटित बजट मय योजना	
	विवरण प्रस्तावित व्यय एवं	
	धन वितरण का विवरण	
12	अनुदान/राजकीय सहायता	विश्वविद्यालय लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ढ)	कार्यकमं के कियान्वयन की	ŭ
	रीति मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का विवरण	
13	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो	
(न)	अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त	
	करने वालो का विवरण	
14	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की	इस प्रकार की सूचना अभी तैयार नहीं की गयी है।
(त)	गई संधारित या उपलब्ध	יש ורו זיר או ארא ארא איר אין ארא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי
	सूचना का विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के लिए	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है। जो कार्यालय
(थ)	राप्यना प्राप्त करें। के उपलब्ध	समयानुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
``	सूचनाआ का विवरण, यदि	त्तनयानुतार प्रातः १० वज त ताप ५.०० वज तक खुला रहता ह।
	सूयनाआं का विवरण, याद जनता के उपयोग हेतु	
	पुस्तकालय या वाचनालय	
	संधारित है तो उसके खुले	
	रहने का समय विवरण	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल रिसर्च सेल

1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	विश्वविधालय द्वारा संचालित विषय जो अकादमिक काउसंलिंग से अनुमोदित हैं उन विभागों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर शौध कार्य करवाने का कार्य किया जाता है।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	समस्त निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकृति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं। प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां/पत्र विषय संयोजक मार्फत निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी निदेशंक/कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी	समस्त निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी कुलपति महोदय की स्वीकृति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं। प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां/पत्र विषय संयोजक मार्फत निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित पत्रावलियों पर सक्षम प्राधिकारी निदेशंक/कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	निदेशक महोदय द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं । कुलपति महोदय द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं । निदेशक द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों की स्वीकति पश्चात निदेशक द्वारा लिये जाते हैं ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाता है । समयावधि का निर्धारण कार्य की प्रकति पर निर्भर, लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं है । आवंटित कार्य निर्धारित प्रकिया के तहत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत पूर्ण किया जाता है । समय–समय पर कार्य की प्रकति अनुसार अनुदेश, निर्देश व अभिलेख प्रसारित होते हैं ।
(छ) 6	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	विभागीय पत्रावलिया एवं लेखा से संबंधित पंजिकायें। शाध ग्रन्थ निर्धारित प्रकिया पूर्ण होने तक। स्टाक रजिस्टर । शैक्षणिक पत्रावलिया ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	यह कार्यालय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेता है। विश्वविद्यालय द्वारा लिय गये निर्णय लागू किये जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत की समस्त कार्यवाही की जाती हैं। विभागीय स्तर पर सीधे रूप से जनता अथवा जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सूचना आदि मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उपलब्ध करवायी जाती हैं । जनता एवं जनप्रतिनिधियों हेतु प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं है । इनसे अप्रत्यक्ष सम्पर्क है ।
8 (守)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी	

	बैठको का कार्यवाही वृत	
	बठका का कायवाहा पृत जनता की पहुँच योग्य	
	जनता का पहुव याग्य है।	
9	्रहे। विभागीय अधिकारियों	
ु (ट)		विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(0)	एवं कर्मचारियो की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10	-	
(ठ)	अपने अधिकारियों एवं	विश्वविद्यालय के लेखा शाखा में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
	कर्मचारियों में से प्रत्येक	
	द्वारा प्राप्त मासिक	
	पारिश्रमिक मय क्षतिप्र्ति	
	निर्धारण	
	की पद्धति।	
11	अपने विभाग को योजना	विश्वविद्यालय क लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ड)	मद मे आवंटित बजट	
	मय योजना विवरण	
	प्रस्तावित व्यय एवं धन	
	वितरण का विवरण	
12	अनुदान / राजकीय	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
(ढ)	सहायता कार्यकम के	
	कियान्वयन की रीति	
	मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का	
	विवरण	
13	विभाग द्वारा स्वीकृत	विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं ।
(न)	रियायतो अनुज्ञापत्रो या	
	प्राधिकार प्राप्त करने	
	वालो का विवरण	
14	इलक्ट्रोनिक रूप से	
(त)	तैयार की गई संधारित	
	या उपलब्ध सूचना का	
	विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है।जो कार्यालय
(थ)	लिए नागरिको को	समयनुसार प्रातः 10 बजे से साय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
	उपलब्ध सूचनाओ का	
	विवरण, यदि जनता के	
	उपयोग हेतु पुस्तकालय	
	या वाचनालय संधारित	
	है तो उसके खुले रहने	
	का समय विवरण	
	4/1 11/14 1441/1	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर

		दात्राय फण्द्र अणगर
_1 (赤)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण विभागीय अधिकारियों एवं	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठयकमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों का विकय किया जाना। पाठयकमों की पवेश प्रक्रिया संपादित करना व प्रवेश सूचियां निदेशक क्षेत्रीय सेवायें परीक्षा नियंत्रक प्रभारी प्रवेश निदेशक पाठयसामग्री उत्पादन व वितरण अनभाग व अध्ययन केन्द्रों को प्रेषित किया जाना। सम्पूर्ण पाठयकमों प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों की सूचियों की सीडी तैयार कर उप कुलसचिव प्रवेश को प्रेषित करना। विभिन्न पाठयकमों में पंजीकत छात्रों की परामर्श कक्षाओं के संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था करना । परामर्श कक्षाओं व पार्ट टाइम स्टाफ के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करना। विभिन्न पाठयकमों के अनिवार्य सम्पर्क शिविरों का आयोजन करवाना। अध्ययन केन्द्रों के बिलों का बजट प्रावधानुसार निस्तारण करवाया जाना । छात्रों से प्राप्त आन्तरिक मूल्यांकन की जॉच कर अंक परीक्षा नियंत्रक को भिजवाना । विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षा केन्द्रा की व्यवस्था करना। पा0बिल प्राप्त करना व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भुगतान की व्यवस्था करना । क्षेत्रीय केन्द्र पर कायरत कर्मचारियों के अवकाश स्वीकत करना । अवकाश अभिलेखों का संधारण करना व वार्षिक वेतन वद्धि के आदेश जारी करना । अध्ययन केन्द्रों के मुख्य समन्वयक व समन्वयकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रपत्र निदेशक क्षेत्रीये सेवायें को अग्रेषित किये जाते हैं ।
2 (ख)	विभागाय आधकारियां एव कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य	संबंधित लिपिक से पत्रावलियां कार्यालय सहायक/सहायक कुलसचिव के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कायवाही की जाती है ।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	संबंधित लिपिक से पत्रावलियां कार्यालय सहायक/सहायक कुलसचिव के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कायवाही की जाती है ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	कार्य निर्वहन के लिये मानक स्थापित नहीं है ।
<u> 5</u> (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम व प्रबन्धक मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार किया जाता है ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	कार्मिको की सेवा–पुस्तिका। स्टाफ उपस्थिति पंजिका। संबंधित लिपिकों की पाठयकमानुसार⁄कार्यानुसार पत्रावलियां। आवक–जावक पंजिका। लेखा संधारण ऑपरेटिव व नॅान ऑपरेटिव। स्टॅाक रजिस्टर–कन्जूमेबल नॅान कन्जूमेबल। पुस्तकालय संबंधित पंजिका।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

8 (求)	राय प्राप्ति हेतु अपन द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली है या उनको बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	कार्य की प्रकृति के अनुसार समितियों का गठन किया जाता है जिनकी बैठक विभागीय गतिविधियों के लिये आहूत होती हैं ।
9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियो की निर्देशिका	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान लेखा व वित्त विभाग द्वारा किया जाता है । सेवानिवत्ति पर परिलाभ के संबंध में प्रशासनिक स्वीकतियां पेंशन नियमों के अन्तर्गत स्थापना अनुभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जाती हैं ।
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण	बजट प्रावधान संबंधी प्रस्ताव तयार कर लेखा व वित्त अनुभाग को भिजवाया जाता है जा स्वीकति के पश्चात वित्तीय वर्ष हेतु बजट आवंटित कर भिजवा दिया जाता है ।
12 (ढ)	अनुदान/राजकीय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	अनुदान⁄रा0सहायता कियान्वयन की कार्यवाही लेखा व वित्त विभाग द्वारा तैयार की जाती है ।
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	संबंधित छात्रों से प्राप्त छात्रवत्ति हेतु आवेदन—पत्रों को समाज कल्याण विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है ।
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	इलक्टोनिक सूचनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर से छात्रों की प्रवेश सूचियां तयार की जाती हैं ।
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसक खुले रहने का समय विवरण	क्षेत्रीय केन्द्र पर स्थापित पुस्तकालय केवल पंजीकत विद्यार्थियों की सुविधा के लिये है। छात्र कार्यालय समय में कार्यालय में बैठकर अध्ययन हेतु संबंधित लिपिक से परिचय पत्र दिखाकर पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस केन्द्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकत नहीं ह यह कार्य लिपिक द्वारा ही अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द्र भरतपुर

		वत्राय कन्द्र मरतपुर
_1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठयकमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों का विकय किया जाना। पाठयकमों की प्रवेश प्रक्रिया संपादित करना व प्रवेश सूचियां निदेशक क्षेत्रीय सेवायें परीक्षा नियंत्रक प्रभारी प्रवेश निदेशक पाठयसामग्री उत्पादन व वितरण अनभाग व अध्ययन केन्द्रों को प्रेषित किया जाना। सम्पूर्ण पाठयकमों प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों की सूचियों की सीडी तैयार कर उप कुलसचिव प्रवेश को प्रेषित करना। विभिन्न पाठयकमों में पंजीकत छात्रों की परामर्श कक्षाओं के संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था करना । परामर्श कक्षाओं व पार्ट टाइम स्टाफ के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करना। विभिन्न पाठयकमों के अनिवार्य सम्पर्क शिविरों का आयोजन करवाना। अध्ययन केन्द्रों के बिलों का बजट प्रावधानुसार निस्तारण करवाया जाना । छात्रों से प्राप्त आन्तरिक मूल्यांकन की जॅाच कर अंक परीक्षा नियंत्रक को भिजवाना । विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षा केन्द्रां की व्यवस्था करना। पा0बिल प्राप्त करना व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मुगतान की व्यवस्था करना । क्षेत्रीय केन्द्र पर कायरत कर्मचारियों के अवकाश स्वीकत करना । अवकाश अभिलेखों का संधारण करना व वार्षिक वेतन वद्धि के आदेश जारी करना । अध्ययन केन्द्रों के मुख्य समन्वयक व समन्वयकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रपन्न निदेशक क्षेत्रीये सेवायें को अग्रेषित किये जाते हैं ।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	संबंधित लिपिक से पत्रावलियां कार्यालय सहायक/सहायक कुलसचिव के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कायवाही की जाती है ।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	संबंधित लिपिक से पत्रावलियां कार्यालय सहायक/सहायक कुलसचिव के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कायवाही की जाती है ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	कार्य निर्वहन के लिये मानक स्थापित नहीं है ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम व प्रबन्धक मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार किया जाता है ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	कार्मिको की सेवा–पुस्तिका। स्टाफ उपस्थिति पंजिका। संबंधित लिपिकों की पाठयकमानुसार ⁄ कार्यानुसार पत्रावलियां। आवक–जावक पंजिका। लेखा संधारण ऑपरेटिव व नॅान ऑपरेटिव। स्टॉक रजिस्टर–कन्जूमेबल नॅान कन्जूमेबल। पुस्तकालय संबंधित पंजिका।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

8 (ਝ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली है या उनको बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	कार्य की प्रकति के अनुसार समितियों का गठन किया जाता है जिनकी बैठक विभागीय गतिविधियों के लिये आहूत होती हैं ।
9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियो की निर्देशिका	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान लेखा व वित्त विभाग द्वारा किया जाता है । सेवानिवत्ति पर परिलाभ के संबंध में प्रशासनिक स्वीकतियां पेंशन नियमों के अन्तर्गत स्थापना अनुभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जाती हैं ।
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण	बजट प्रावधान संबंधी प्रस्ताव तयार कर लेखा व वित्त अनुभाग को भिजवाया जाता है जो स्वीकति के पश्चात वित्तीय वर्ष हेतु बजट आवंटित कर भिजवा दिया जाता है ।
12 (ढ)	अनुदान/राजकीय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	अनुदान⁄रा0सहायता कियान्वयन की कार्यवाही लेखा व वित्त विभाग द्वारा तैयार की जाती है ।
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	संबंधित छात्रों से प्राप्त छात्रवत्ति हेतु आवेदन—पत्रों को समाज कल्याण विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है ।
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	इलक्टोनिक सूचनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर से छात्रों की प्रवेश सूचियां तयार की जाती हैं ।
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	क्षेत्रीय केन्द्र पर स्थापित पुस्तकालय केवल पंजीकत विद्यार्थियों की सुविधा के लिये है। छात्र कार्यालय समय में कार्यालय में बैठकर अध्ययन हेतु संबंधित लिपिक से परिचय पत्र दिखाकर पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस केन्द्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकत नहीं ह यह कार्य लिपिक द्वारा ही अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द बीकानेर

		दात्रीय प्रस्त बाफानर
1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्यो का विवरण	प्रवेश कार्य, अध्ययन केन्द्रों का संचालन, परामर्श कक्षाओं के आयोजन हेतु अध्ययन केन्द्रों को दिशा—निदश। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों की स्वीकति अध्ययन केन्द्र / परीक्षा केन्द्रों के बिलों का निस्तारण। मुख्यालय द्वारा समय—समय पर मागी जाने वाली सूचनाओं को भिजवाना।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार ।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी	विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	विश्वविद्यालय के निर्धारित नियम एवं अध्यादेश ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख	विश्वविद्यालय के नियमों एवं कुलसचिव एवं अन्य अधिकारियो द्वारा दिये जाने वाले निर्देश के अनुसार ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	प्रवेश आवेदन पत्र। विविध शाखाओं संस्थापना, प्रवेश रोकड , अध्ययन केन्द्र शाखा के दस्तावेजों का संधारण किया जाता है ।
7 (ज)	अपनी नोति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	नोटिस बोर्ड पर समस्त प्रकार की आवश्यक सूचनायें लगायी जाती हैं। प्रवेश संबंधी विज्ञापनों का अखबारों में प्रकाशन ।
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली है या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	कोई समिति का गठन नहीं किया गया है । इस संबंध में विश्वविद्यालय से उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा है ।

9	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(ट)	कर्मचारियों की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ਰ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति	विश्वविद्यालय नियमानुसार ।
	निर्धारण की पद्धति।	
11 (ড)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण	
12 (ढ)	अनुदान/राजकोय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	राजकीय सहायता एवं अनुदान कोई प्राप्त नहीं होता है ।
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	लागू नहीं है ।
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	विश्वविद्यालय के मुख्यालय द्वारा इन्टरनेट वेबसाईट संचालित है ।
15 (왠)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को कार्यालय समय में अध्ययन की व्यवस्था है ।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द जयपुर

1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्ताव्यो का विवरण	अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छात्रों को प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त कराकर प्रवेश करना । आवेदन पत्र विकय करना । कर्मचारियों द्वारा छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क बैंक के माध्यम से मुख्यालय पर हस्तांतरित करना । निदेशक द्वारा नये अध्ययन केन्द्र खोलने व वर्तमान मे संचालित अध्ययन केन्द्रों की मोनिटरिंग करना । अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षायें लगवाना एवं क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन परोक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कार्य सुचारू रूप से हो इसकी व्यवस्था करना । क्षेत्रीय केन्द्र पर प्राप्त आय का विवरण भेजना । क्षेत्रीय केन्द्र पर स्थापित छात्र सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्रों की समस्या का समाधान करना ।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य	विश्वविद्यालय नियमानुसार
3(ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	विश्वविद्यालय नियमानुसार
4(घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	विश्वविद्यालय नियमानुसार
5(च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण मे या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	
(छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	गत दस वर्षों की प्रवेश सूचियां एवं टीआर छात्रों की सूचनार्थ कार्यालय में उपलब्ध हैं ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	समाचार पत्रों में विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड एवं टेलीफोन फैक्स के जरीए छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सूचना भिजवायी जाती है ।
8 (झ)	राय पाप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का	छात्र सहायता प्रकोष्ठ में एक कायालय सहायक एवं एक कनिष्ठ लिपिक कार्यालय समय में छात्र/छात्राओं हेतु उपलबध रहते हैं ।

	कार्यवाही वृत् जनता	
	की पहुँच योग्य है।	
9	विभागीय अधिकारियों	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(ट)	एवं कर्मचारियो की	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
	निर्देशिका	
10	अपने अधिकारियों एवं	विश्वविद्यालय में नियुक्त आदेशों के नियमानुसार ।
(ठ)	कर्मचारियों में से	
	प्रत्येक द्वारा प्राप्त	
	मासिक पारिश्रमिक मय	
	क्षतिपूर्ति निर्धारण	
<u> </u>	की पद्धति।	
11 ()	अपने विभाग को	
(ड)	योजना मद मे आवंटित	
	बजट मय योजना	
	विवरण प्रस्तावित व्यय	
	एवं धन वितरण का	
	विवरण	
12	अनुदान / राजकीय	
(ढ)	सहायता कार्यकम के	
	कियान्वयन की रीति	
	मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का	
	विवरण	
13	विभाग द्वारा स्वीकृत	
।उ (न)		
	रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने	
	वालो का विवरण	
14 (न)	इलक्ट्रोनिक रूप से	
(त)	तैयार की गई संधारित	
	या उपलब्ध सूचना का	
	विवरण	
15	सूचना प्राप्त करने के	क्षेत्रीय केन्द्र पर छात्र/छात्राओ की सुविधा के लिये कार्यालय समय में
(थ)	लिए नागरिको को	पस्तकालय खुला रहता है । इसमे पाठयपुस्तकों के अतिरिक्त दैनिक समाचार
	उपलब्ध सूचनाओं का	पत्र एवं अन्य पत्रिका छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु उपलब्ध रहती हैं ।
	विवरण, यदि जनता के	\sim
	उपयोग हेतु पुस्तकालय	
	या वाचनालय संधारित	
	है तो उसके खुले	
	रहने का समय विवरण	
	101 4/1 1114 14414	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द जोधपुर

1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	सामान्य पर्येवेक्षण, स्थापना, बैंक समाधान, विवरण, बजट तैयार करना, प्राप्ति एवं भुगतान खाते एवं आय—व्यय खाते तैयार करना। छात्रवत्तिया, विज्ञापन, कोर्ट केसेस, नये अध्ययन, खोलने से संबंधित कार्य। प्रवेश से संबंधित समस्त कार्य। कम्प्यूटर से प्रवेश सूची तैयार कर संबंधित विभागों को भिजवाना । छात्रों को प्रवेश संबंधी सूचना भिजवाना । सभी प्रकार के आन्तरिक मूल्यांकन को जंचवाना एवं परीक्षा नियंत्रक को नम्बर भिजवाना । टेलीफोन , परीक्षा संचालित करना , छात्रों को परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी देना । जनसम्पर्क का कार्य। लेखा व वित्त विभाग से संबंधित समस्त कार्य । तीनों खातों की रोकड बहियां एवं खाता बहियां संधारित करना । बिल बनाना एवं संबंधित को मुगतान करना । बैंक से संबंधित सभी कार्य । अध्ययन केन्द , स्टोर , सभी पाठयकमों के प्रवेश आवेदन पत्रों की बिको एवं बिकी का हिसाब भेजना। कम्प्यूटराइज्ड सूचियां संबंधित विभागों को भेजना । पुस्तकालय , आवक—जावक से संबंधित कार्य । हिन्दी टंकण काय । अन्य निर्देशित सभी कार्य सम्पन्न करवाना ।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	विश्वविधालय नियमानुसार
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	विश्वविधालय नियमानुसार
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	कार्या का निस्तारण प्रकिया अनुसार तुरन्त किया जाता है ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	विश्वविद्यालय के नियमानुसार पालना की जाती है ।
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	लेखा संबंधित पुस्तिकायें , कायालय पत्रावलियां , पुस्तकालय की पुस्तकें , भरे हुये आवेदन पत्र सत्रानुसार व्यवस्थित रखे जाते हैं ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	विश्वविद्यालय के पाठयकमों के बारे में सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व जनता के बीच प्रचार—प्रसार करना ।
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहॅच योग्य है।	

9	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(ट)	कर्मचारियो की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण	इस केन्द्र को आवंटित योजना मद में राशि 57000 / –प्रचार–प्रसार के मद में आवंटित की गयी है जिसमें टीवी पर प्रवेश से संबंधित स्काल पटटी पूरे जोधपुर संभाग में चलाकर दीवारों पर पाठयकमों के नाम लिखवाकर व मुख्य चौराहों पर क्षेत्रीय केन्द्र के बोड बनवाकर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है ।
12 (ढ)	अनुदान/राजकोय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	क्षेत्रीय केन्द्र पर सुसज्जित पुस्तकालय उपलब्ध है जिसका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा कार्यालय समय में किया जाता है किन्तु पुस्तकालय से संबंधित स्टाफ पुस्तकालय सहायक का पद स्थापन इस केन्द्र पर नहीं होने के कारण पुस्तकें छात्रों को इश्यू नहीं की जाती हैं । साथ ही पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । पुस्तकालय में लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध हैं ।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द कोटा

विवरण	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठयकमों में प्रचलित प्रवेश नियमों के तहत छात्रों को प्रवेश फार्म उपलबध करवाना । आवेदन फार्म प्राप्त कर योग्य छात्रों को पाठयकम में प्रवेश देकर प्रवेश सूचियां विभिन्न विभागों को प्रेषित करना एवं अध्ययन केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन करना इस केन्द्र का महत्वपूर्ण कार्य है ।
विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	विश्वविधालय नियमानुसार
निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी	विश्वविद्यालय द्वारा निधारित नियमों के तहत ही किसी भी विवादास्पद प्रकरण का निस्तारण किया जाता है यदि कार्यालय किसी निर्णय लेने में अक्षम है तो इस कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारियों को उक्त प्रकरण से अवगत करवाकर उनके निर्णय अनुसार प्रकरण का समाधान किया जाता है ।
कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	इस कार्यालय के कार्य को संपादित करने हेतु विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का आवंटन किया गया है । विषयावार प्रवेश कार्य संपादित करने हेतु 5 लिपिकों को लेखा संबंधित कार्य हेतु 1 लिपिक एवं स्थापना एवं अध्ययन केन्द्रो से संबंधित पत्र–व्यवहार हेतु विषय लिपिक को कार्य आवंटित किया हुआ है ।
अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख	इस कार्यालय द्वारा प्रथम से कोई नियम प्रचलित नहीं हैं ।
अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	इस कार्यालय से संबंधित अभिलेख संबंधित कर्मचारियों के पास उपलब्ध हैं ।
अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	इस कार्यालय से संबंधित सूचना की जानकारी चाहने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी से अवगत करवाया जायेगा ।
राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत जनता की पहुँच योग्य है।	
	विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्यो का विवरण विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधी कार्य निर्वहन के स्थापित मानक कार्य निर्वहन के स्थापित मानक कार्य निर्वहन के स्थापित मानक कार्य निर्वहन के स्थापित मानक अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली ह या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत्त जनता की

9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
	कर्मचारियों की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ਰ)	अपने अधिकारियों एवं	कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को पारीश्रमिक का
	कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा	भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।
	प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय	
	क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे	योजना मद मे इस कार्यालय को बजट आवंटित नहीं है ।
	आवंटित बजट मय योजना	
	विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन	
	वितरण का विवरण	
12 (ढ)	अनुदान/राजकीय सहायता	इस कार्यालय को अलग से किसी प्रकार का अनुदान/राजकीय
	कार्यकम के कियान्वयन की	सहायता प्राप्त नहीं होती है ।
	रीति मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का विवरण	
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।
	अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की	
	गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	इस कायालय द्वारा प्रवेश संबंधित कार्यो का निस्तारण कम्प्यूटर द्वारा ही किया जाता है जिसमें समस्त प्रोग्राम निदेशक, तकनीकी
	מו וממליו	व विज्ञान द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाता है ।
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए	विश्वविधालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है।जो
	नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ	कार्यालय समयनुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला
	का विवरण, यदि जनता के	रहता है।
	उपयोग हेतु पुस्तकालय या	
	वाचनालय संधारित है तो उसके	
	खुले रहने का समय विवरण	
L	ు ··· ·	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल क्षेत्रीय केन्द उदयपुर

		भाय कन्द उदयपुर
1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठयकमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों का विकय किया जाना । पाठयकमों की प्रवेश प्रकिया सम्पादित करना व प्रवेश सूचिया निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें, परीक्षा नियंत्रक, प्रभारी, प्रवेश निदेशक, पाठयसामग्री उत्पादन व वितरण विभाग व अध्ययन केन्द्रों को प्रेषित करना । सम्पूर्ण पाठयकमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों की सूचियों की सीडी तैयार कर उप कुलसचिव, प्रवेश को प्रेषित करना । विभिन्न पाठयकमों में पंजीकत छात्रों की परामर्श कक्षाओं के संचालन हेतु अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था करना। परामर्श कक्षाओं व पार्ट–टाईम स्टाफ के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करना । विभिन्न पाठयकमों के अनिवार्य सम्पर्क शिविरों का आयोजन करवाना । अध्ययन केन्द्र के बिलों का बजट प्रावधानुसार निर्धारण करवाया जाना । छात्रों से प्राप्त हल किये गये आन्तरिक मूल्यांकनों की अनुमोदित टयूटर्स/काउंसलर्स से जॉच करवाकर अंक परीक्षा नियंत्रक को भिजवाना । बीएड एवं मेनेजमेट पाठयकमों की प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन पत्र विकय करना उन्हे प्राप्त कर रोल लिस्ट तैयार करना, छात्रों को प्रवेश पत्र मिजवाना एवं प्रवेश परीक्षा स संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था करना। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना । पारिश्रमिक बिल प्राप्त करना एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यात्वय स्था करना । पारिश्रमिक बिल प्राप्त करना एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यात्व कार्यात्य से प्राप्त
		निर्देशानुसार भुगतान की वयवस्था करना। क्षेत्रीय केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश स्वीकत करना , अवकाश अभिलेखों का संधारण करना व वार्षिक वेतनवद्धि के आदेश जारी करना। अध्ययन केन्द्रों के मुख्य समन्वयक व समन्वयकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रपत्र निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें को अग्रेषित करना। प्रवेश आवेदन पत्रों के साथ भरकर जमा कराये गये परीक्षा आवेदन पत्रों को जॅाच कर मय सूची को परीक्षा
		नियंत्रक कार्यालय को अग्रेषित करना ।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	संबंधित लिपिक की पत्रावलियां कार्यालय सहायक/लेखाकार के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कार्यवाही की जाती है
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि	संबंधित लिपिक की पत्रावलियां कार्यालय सहायक/लेखाकार के माध्यम से निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं तत्पश्चात निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्देशानुसार व निर्णयानुसार कार्यवाही की जातो है ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	कार्य निर्वहन के लिये मानक निर्धारित नहीं हैं ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम	कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिनियम ,परिनियम अध्यादेश विनियम एवं प्रबन्ध मण्डल के लिये गये निर्णयानुसार किया जाता है ।
	अनुदेश निदशिका एव अभिलेख	
(छ) 6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, स्टाफ उपस्थिति पंजिका, संबंधित लिपिकों की पाठयकमानुसार / कार्यानुसार पत्रावलियां, आवक–जावक पंजिका, लेखा संधारण ऑपरेटिव व नॅान ऑपरेटिव, स्टॅाक रजिस्टर कन्जूमेबल व नॅान कन्जूमेबल, पुस्तकालय संबंधित पंजिका ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण	कोई व्यवस्था नहीं है । अभी तक इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

a ()		
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा	कार्य की प्रकृति अनुसार समितियों का गठन किया जाता हे
	गठित दो या अधिक व्यक्तियों	जिनकी बैठक विभागीय गतिविधियों के लिये आहूत होती हैं ।
	के मण्डलो, परिषदो, समितियो	
	और अन्य निकायों का विवरण	
	और यह विवरण भी कि क्या	
	उनकी बैठक जन साधारण क	
	लिए खुली ह या उनकी बैठको	
	का कार्यवाही वृत जनता की	
	पहुँच योग्य है।	
9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
	कर्मचारियो की निर्देशिका	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं	विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक का
	कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा	भुगतान लेखा व वित्त विभाग द्वारा किया जाता है । सेवानिवत्ति
	प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय	पर परिलाभ के संबंध में प्रशासनिक स्वीकतियां पेंशन नियमों के
	क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति।	तहत स्थापना अनुभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जाती है ।
11 (ড)	अपने विभाग को योजना मद मे	बजट प्रावधान संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लेखा व वित्त विभाग को
	आवंटित बजट मय योजना	भिजवाया जाता है जो स्वीकति के पश्चात वित्तीय वर्ष हेतु बजट
	विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धन	आवटित कर भिजवा दिया जाता है ।
	वितरण का विवरण	
12 (ढ)	अनुदान/राजकीय सहायता	अनुदान/रा0सहायता कियान्वयन की कार्यवाही लेखा व वित्त
	कार्यकमं के कियान्वयन की	विभाग द्वारा तयार की जाती है ।
	रीति मय आवंटित राशि एवं	
	उससे लाभांवितो का विवरण	
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो	सबंधित छात्रों से प्राप्त छात्रवत्ति हेतु आवेदन पत्रों को समाज
	अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त	कल्याण विभाग को अग्रेषित कर दियाँ जाता है ।
	करने वालो का विवरण	
14 (त)	इलक्ट्रोनिक रूप से तैयार की	इलक्टोनिक्स सूचनाओं के तहत कम्प्यूटर से छात्रों की प्रवेश
	गई संधारित या उपलब्ध सूचना	सूचियां तयार की जाती हैं
	का विवरण	u .
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए	क्षेत्रीय केन्द्र पर स्थापित पुस्तकालय केवल पजीकत विद्यार्थियों की
	नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ	सुविधा के लिये है । छात्र कार्यालय समय में कार्यालय में बैठकर
	का विवरण, यदि जनता के	संबंधित लिपिक से परिचय पत्र दिखाकर पुस्तक प्राप्त कर सकते
	उपयोग हेतु पुस्तकालय या	हैं। उल्लेख्नीय है कि इस केन्द्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष का पद
	वाचनालय संधारित है तो उसके	स्वीकत नहीं है । यह कार्य लिपिक द्वारा ही अपने निधारित कार्य
	खुले रहने का समय विवरण	के अतिरिक्त किया जाता है ।
L	່ ວີ ^ເ	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल कुलसचिव कार्यालय

1 (क)	विभाग के कार्य एवं	कुलसचिव कार्यालय के अन्तर्गत निम्न अनुभाग कार्यरत हैं।
' (47)	कर्त्तव्यो का विवरण	- निजी सहायक अनुभाग
	कतव्या का विवरण	– स्थापना अनुभाग
		– विधि एवं आर.टी.आई.अनुभाग
2(ख)	विभागीय अधिकारियों	Registrar-
	एवं कर्मचारियों की	(1) The Registrar shall be appointed by the Board of
	शक्तियां व कर्त्तव्य	Management on the recommendation of Selection
		Committee constituted for the purpose by the said
		Board:
		Provided that the first Registrar of the University shall
		be appointed by the Chancellor after consultation with
		the State Government for a period not exceeding three
		years on such terms and conditions as the Chancellor
		may determine.
		(2) The Registrar shall be a whole-time officer of the
		University.
		(3) The salary, allowances and other conditions of service of
		the Registrar shall be such as may be prescribed by the
		Ordinances of the University from time to time.
		•
		years.
		(5) The Registrar shall have power to take disciplinary
		action against such classes or categories of employee
		other than teachers as may be authorised by the Vice-
		Chancellor.
		(6) An appeal against the order made under clause (5) may
		be preferred to an officer especially empowered in this
		behalf by the Board of Management.
		(7) The Registrar may, if he is of the opinion after
		completing the enquiry that adequate punishment cannot
		be awarded by him, submit a report along with his
		recommendation regarding punishment to the Vice-
		Chancellor who, may, after considering the report,
		impose any penalty.
		(8) The Registrar shall exercise the Powers and perform the
		function as under :-
		(a) to act as the Secretary to the Board of Management
		and the Academic Council;
		(b) to act as the Custodian of the records of the
		University;
		(c) to convene meetings and maintain the minutes of
		the meetings of the Board of Management, the
		Academic Council and the committees constituted
		readenne council and the committees constituted

	1	
		from time to time;
		(d) to conduct the proceeding and deal with the
		correspondence of the Board of Management, the
		Academic Council and the committees.
		(e) to submit to the Chancellor copies of the agenda and the minutes of the meeting referred to in sub-
		and the minutes of the meeting referred to in sub- clause (c);
		(f) to sign powers of attorney, verify pleadings, appear
		in the court and authorise a person to appear for
		and on behalf of the University in a suit or other
		proceedings filed by or against the University; and
		(g) to perform such other functions as may be
		assigned to him by the Board of Management or the
		Vice-Chancellor or under the Statutes or the
		Ordinances of the University or the regulations
3 (ग)	निर्णय लेने की	
	प्रकिया में मय	
	पर्यवेक्षण एवं	
	जवाबदेही निर्धारण	
	करने में अपनाई जाने	
	वाली विधी	
4	कार्य निर्वहन के	कार्य निर्वहन के मानक निर्धारित नहीं हैं तथापि सक्षम अधिकारी के
(घ)	स्थापित मानक	निर्देशानुसार कार्य का निवर्हन किया जाता है ।
5 (च)	अपने पास या अपने	कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय क अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश
0 (1)	नियन्त्रण में या अपने	विनियम एवं प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार किया जाता है।
	कर्मचारियों द्वारा कार्य	Š
	निपटाने हेतु उपयोग में	
	लिए जाने वाले नियम	
	विनियम अनुदेश निर्देशिका एव अभिलेख	
6 (छ)	अपने पास या अपने	
- (-)	नियन्त्रण में रखे हुए	
	दस्तावेजो का श्रेणी वार	
-	विवरण	
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या	विभागीय स्तर पर सीधे रूप से जनता अथवा जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार
	उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि	की सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है तथापि जनता अथवा जनगरिनिशि नगा किसी एकप की सनम आदि संघर्भ जनने पर संथय
	जनता या जनप्रातानाध हेतु उपलब्ध व्यवस्था का	जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सूचना आदि मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करते हुये ही आवश्यक हो तो उपलब्ध
	हतु उपलब्ध प्ययस्था फा विवरण	करवायी जाती है।
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने	कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुय सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों
	द्वारा गठित दो या	के अनुसार समितियों का गठन किया जाता है। समिति की प्राप्त रिपोर्ट
	अधिक व्यक्तियों के	को संक्षम प्राधिकारी कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त
	मण्डलो, परिषदो, समितियो और अन्य	निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाती है। गठित समितियां विभागीय कार्यवाही के लिय होती हैं। जनसाधारण के लिये नहीं होती हैं।
	निकायों का विवरण और	איאאופו אי ועוא פועו פּן איזעואולא אי ועוא יופו פועו פּן
	यह विवरण भी कि क्या	

	उनकी बैठक जन	
	साधारण के लिए खुली	
	है या उनकी बैठको का	
	कार्यवाही वृत्त जनता की	
	पहुँच योग्य है।	
9	विभागीय अधिकारियों	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(ट)	एवं कर्मचारियो की	www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
	निर्देशिका	www.vinou.ac.in/acpt 4x 04004 81
40 (7)		
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक का भगतान
	कर्मचारियों में से प्रत्येक	लेखा व वित्त अनुभाग द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर परिलाभ क
	द्वारा प्राप्त मासिक	संबंध में प्रशासनिक स्वीकृतियां पेंशन नियमों के अन्तगत स्थापना अनुभाग
	पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति	द्वारा जारी की जाती हैं।
	निर्धारण की पद्धति।	
11 (ড)	अपने विभाग को योजना	
	मद मे आवंटित बजट	
	मय योजना विवरण	
	प्रस्तावित व्यय एवं धन	
	वितरण का विवरण	
12 (ढ)	अनुदान / राजकीय	
	सहायता कार्यकम के	
	कियान्वयन की रीति मय	सहायता कियान्वयन की कार्यवाही लेखा व वित्त विभाग
	आवंटित राशि एवं उससे	द्वारा की जाती है।
	लाभांवितो का विवरण	
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत	
	रियायतो अनुज्ञापत्रो या	
	प्राधिकार प्राप्त करने	
	वालो का विवरण	
14 (त)	इलैक्ट्रोनिक रूप से	
	तैयार की गई संधारित	इस प्रकार की सूचना इलक्टोनिक रूप से अभी तैयार नहीं की गयी है।
	या उपलब्ध सूचना का	N N
	विवरण	
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के	
	लिए नागरिको को	
	उपलब्ध सूचनाओं का	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है। जो कार्यालय
	विवरण, यदि जनता के	समयानुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।
	उपयोग हेतु पुस्तकालय	
	या वाचनालय संधारित है	
	तो उसके खुले रहने का	
	सा उराप जुल रहन का समय विवरण	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल <u>क्षेत्रीय सेवाए</u>ें

1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय सेवाओं का दायित्व है किवह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित 6 क्षेत्रीय केन्द्रों के परिवेक्षक कार्य एव क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों,अध्ययन कम्प्यूटर सेंटरों एवं 19 अध्ययन केन्द्रों पर डिश ऐन्टिना के कार्य को मार्गदर्शित करता है एवं अध्ययन केन्द्रों पर पार्ट—टाईम स्टाफ एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति करता है। अध्ययन केन्द्रों पर पार्ट—टाईम स्टाफ एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति करता है। अध्ययन केन्द्रों पर नियुक्त परामर्शदाताओं के बिल क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से इस विभाग के द्वारा वित्त विभाग से पास करवाने का दायित्व क्षेत्रीय सेवाये का है । यह कार्य विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित है। क्षेत्रीय संरचना का कार्य
2 (ख)	विभागीय अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	प्रकरण लिपिक से पत्रावलियां/पत्र सहायक कुलसचिव के माध्यम से निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं । संबंधित पत्रावलियों पर सद्वाम अधिकारी निदेशक/कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निण्रय के उपरान्त कार्यवाही की जाती है।
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाब —देही निर्धारण करने में अप नाई जाने वाली विधी	विश्वविद्यालय एक्ट के नियमानुसार ।
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	
<u>5</u> (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख	निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किये जाते हैं ।
(ড) 6	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाता है । समयावधि का निर्धारण कार्य की प्रकति पर निर्भर करता है । लिखित नियमावली उपलब्ध नहीं है ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु अपलब्ध व्यवस्था का विवरण	विभागीय पत्रावलियां लेखा से संबंधित पंजिकायें एवं स्टॅाक रजिस्टर ।
8 (झ)	व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो ,समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण क लिए खुली है या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत्त जनता की पहुँच योग्य है।	प्रकार की सूचना उपलबध करवाने का प्रावधान नहीं है । जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की सूचना आदि मांगे जाने पर सक्षम
9	विभागीय अधिकारियों एवं	

(ट)	कर्मचारीयो की निर्देशिका	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
		www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ਰ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मवारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्वति।	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
11 (ड)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धनवितरण का विवरण	विश्वविद्यालय क`लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलब्ध हैं ।
12 (ढ)	अनुदान/राजकीय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	विश्वविद्यालय क`लेखा विभाग में समस्त सूचनायें उपलबध हैं ।
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	क्षेत्रीय सेवायें से संबंधित नहीं है । ा
14 (त)	इलेक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	इस प्रकार की सूचना अभी तैयार नहीं की गयी है ।
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है।जो कार्यालय समयनुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयः कोटा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मैन्युअल कुलपति सचिवालय

1 (क)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्यो का विवरण	कुलपति सचिवालय माननीय कुलपति महोदय को कार्यालयी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जहाँ पर कुलपति जी को प्राप्त पत्र व्यहार एवं कुलपति जी द्वारा किये गये पत्र व्यवहार से सम्बन्धित पत्रावलियों का सधारण किया जाता है।
2 (ख)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्त्तव्य	 का साधारण किया जाता है। Vice- Chancellor- (01) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at or address the meeting of any Authority or body of the University but shall not vote unless he is a member of such Authority or body. (02) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provision of the Act, the Statutes, the Ordinances of the University and the regulation are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance. (03) The Vice-Chancellor shall, in addition to the powers conferred on him under the Act, also have the following powers, namely :- (a) to exercise control over the affairs of the University. (b) to give effect to the decisions made by any Authority of the University. (c) to exercise all the power to maintain discipline among the students in the University or to delegate such power to any person; (d) to grant leave to the officers of the University and to make necessary arrangements for work during the period of such leave; (e) to grant leave to teachers and employees or to delegate this power to any officer of the University; (f) to convene the meeting of the Board of Management, Academic Council, Planning Board and Finance Committee; (g) to appoint a teacher on the recommendation of the Selection Committee with the prior approval of the Board of Management.
		(i) to make all the appointments for any period, whether of a teacher or an employee or to authorise an officer to make any appointment.(j) to take disciplinary action against a teacher or an

		 employee or to authorise an officer to take such action; and (k) to arrange for establishing or maintaining a Regional Certre or a Study Centre as deemed necessary from time to time or to delegate such power to any one.
3 (ग)	निर्णय लेने की प्रकिया में मय पर्यवेक्षण एवं जवाब –देही निर्धारण करने में अप नाई जाने वाली विधी	
4 (घ)	कार्य निर्वहन के स्थापित मानक	राज्यसरकार द्वाारा जारी राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित एवं लेखा नियमों एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्थापित मानक ।
5 (च)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश निदेशिका एव अभिलेख	विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश, विनियम एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय एवं निर्देश
6 (छ)	अपने पास या अपने नियन्त्रण में रखे हुए दस्तावेजो का श्रेणी वार विवरण	स्चिवालय में विश्वविद्य।लय के सभी विभागों के प'त्रव्यवहार की प्रतियां आावश्यकतानुसार सूचनार्थ प्राप्त होती हैं । तदानुसार सचिवालय में सभी विभागों की अलग–अलग पत्रावलियां संधारित की जा रही हैं ।
7 (ज)	अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्य के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि हेतु अपलब्ध व्यवस्था का विवरण	विभागीय स्तर पर नीति निर्धारण हेतु जनता अथवा जनप्रतिनिधि हेतु व्यवस्था नहीं कीगई है। जनता अथवा जनप्रतिनिधि द्वारा मागे जाने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित प्रकिया से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।
8 (झ)	राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलो, परिषदो ,समितियो और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि क्या उनकी बैठक जन साधारण के लिए खुली है या उनकी बैठको का कार्यवाही वृत्त जनता की पहुँच योग्य है।	विश्वविद्यालय द्वारा गठित समितियां विभागीय कार्यवाही के लिये गठित की जाती हं। समितियों,मण्डलों,परिषंदों में जनसाधारण की भागीदारी का विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
9 (ट)	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियो की निर्देशिका	विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची www.vmou.ac.in/dept पर उपलब्ध है।
10 (ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्वति।	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वेतन श्रंखला– मूल वेतन एवं भत्ते(राज्य सरकार के नियमानुसार)
11 (ড)	अपने विभाग को योजना मद मे आवंटित बजट मय योजना विवरण प्रस्तावित व्यय एवं धनवितरण का विवरण	
12 (ढ)	अनुदान⁄राजकीय सहायता कार्यकम के कियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभांवितो का विवरण	
13 (न)	विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतो अनुज्ञापत्रो या प्राधिकार प्राप्त करने वालो का विवरण	यह कार्य कुलसचिव कार्यालय के द्धारा सम्पन्न किया जाता है। अतः इस विभाग से संबंधित नहीं है।

14 (त)	इलेक्ट्रोनिक रूप से तैयार की गई संधारित या उपलब्ध सूचना का विवरण	
15 (थ)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण	विश्वविघालय का अपना एक अलग केन्द्रीय पुस्तकालय है ।जो कार्यालय समयनुसार प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है।